BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 28 अगस्त 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त तालिब पुत्र शकूर निवासी ग्राम भड़काऊ थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में अपनी पत्नी को दहेज के लिये प्रताड़ित कर मिट्टी का तेल डाल आग लगाकर मारने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 26-11-2019 को थाना नरसैना पर मुअसं- 317/2019 धारा- 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज एक्ट अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.12.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 28.08.2023 को मा0 न्यायालय, एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तालिब को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री नितिन त्यागी व श्री अजीत कुमार सक्सैना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर